श्रीमान अध्यापकगण एवं सभी कर्मचारी

बाबू राम सिंह महाविद्यालय, खाड़पाथर

मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र (उ0 प्र0)

विश्वविद्यालय परिनियम के अंतर्गत परिशिष्ट "ग" 16.03 धारा 49ण अध्यापक के आचार संहिता ।

आप सभी लोगों को अवगत हो कि अध्यापकों के लिए आचार संहिता उक्त धारा के अंतर्गत निहित की गई है ।

अतः जो अध्यापक अपने उत्तरदायित्व के प्रति तथा युवकों के चरित्र निर्माण एवं ज्ञान, बौद्धिक स्वतंत्रता एवं समाजिक प्रगति को अग्रसर करने के संबंध में जो विश्वास उसमें निहित किया गया है उसके प्रति जागरुक है, उन अध्यापकों से इस बात का अनुभव रखने की आशा की जाती है । कि वह नैतिकता संबंधी नेतृत्व की अपनी-अपनी भूमिका का निर्वाह समर्पण, नैतिक, निष्ठा तथा मन, वचन एवं कर्म में पवित्रता की भावना से ओत -प्रोत रहकर अपने आचरण द्वारा अधिक कर सकता है ।

अतः इसकी वृत्ति की गरिमा के अनुरूप ये आचरण संहिता बनाई गई है । इसका पालन व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के आचरण में वस्तुतः निष्ठा पूर्वक किया जाए ।

1- प्रत्येक अध्यापक शैक्षिक कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा एवं कर्तव्य परायणता से करेगा ।
2- कोई भी अध्यापक छात्रों का अ भिनिर्धारण करने में कोई पक्षपात या पूर्वाग्रह प्रदर्शित ना करेगा ना उन्हें उत्पीड़ित करेगा ।
3- कोई भी अध्यापक किसी भी छात्र को अन्य छात्र के विरुद्ध या विश्वविद्यालय /महाविद्यालय के विरुद्ध उत्तेजित नहीं करेगा।
4- कोई भी अध्यापक जाति, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता या भाषा के आधार पर छात्र/छात्राओं में भेदभाव नहीं करेगा । साथ ही अपने साथियों अधीनस्थ, व्यक्तियों तथा छात्रों में भी ऐसी प्रवृत्ति को हतोत्साहित करेगी और अपने भविष्य की उन्नति के लिए उपरोक्त विचारों का प्रयोग करने की चेष्टा नहीं करेगा ।
5- कोई भी अध्यापक यथास्थिति विश्वविद्यालय /महाविद्यालय के समुचित कार्यों तथा कृत्य कार्यों विनिश्चयों को कार्यान्वित करने से इनकार नहीं करेगा ।
6- कोई भी अध्यापक यथास्थिति विश्वविद्यालय महाविद्यालय के क्रियाकलाप से संबंधित कोई भी गोपनीय सूचना किसी ऐसे व्यक्ति पर प्रकट नहीं करेगा जो उसके संबंध में प्राधिकृत ना हो।
7- कोई भी अध्यापक किसी महिला को कार्य स्थल पर उसके यौन उत्पीड़न के किसी भी कार्य में संलिप्त नहीं होगा ।

क्रमशः.....2

Scanned with OKEN Scanner

स्पष्टीकरण "यौन उत्पीड़न" में प्रत्यक्षतः या अन्यथा काम वासना से प्रेरित कोई ऐसा अशोभनीय व्यवहार सम्मिलित है, जैसा कि

क) यौन उत्पीड़न में प्रत्यक्ष या परोक्ष काम वासना के कई कार्य व्यवहार समिति है।
ख) कामोदिप प्रणय सम्बंधित चेष्टा, यौन स्वीकृत की मांग
ग) कामवासना प्रेरित फब्तियाँ कामोत्तेजक कार्य व्यवहार एवं प्रदर्शन।
घ) कोई अन्य, अशोभनीय शारीरिक, मौखिक या सांकेतिक आचरण।

49ण परिशिष्ट धारा16.03

1) सम्बंधित महाविद्यालय का प्राध्यापक सदा सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्यनिष्ठ रहेगा।
2) परिशिष्ट की आचार संहिता का पालन करेगा।
3) परिशिष्ट ग में दी गई आचार संहिता में उपबंध का उल्लंघन परिनियम 1604 के अंतर्गत दोष सिद्ध होने पर प्राथमिकी के साथ दंडात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

अतः आप सभी अध्यापक लोगों को परिशिष्ट "ग" के अंतर्गत यह अवगत कराना चाहता हूं कि आप सभी लोग यथाशीघ्र उपरोक्त आचार्य संहिता का पालन करना प्रारंभ कर दें। परिनियम के अधीन आप लोगों से अपेक्षा की जाती है कि इसे ध्यान में रखकर कोई भी कार्य करें।

15/05/24
प्राचार्य
प्राचार्य
बाबू रामसिंह महाविद्यालय
खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र
खाड़पाथर मुर्धवा, रेणुकूट

16/05/2024
17/05/24
17/05/24
16/05/24
17/5/24
Ajay (Ajay Mishra) 17/5/2024
Pushpa 17/5/24
17/5/24
17/05/24
15/05/24
JP Yadav (JayPrakash) 15/05/24
Poonam